Serial No. 10261 Book No. :- 4 Deed No. 157 5000 Rs.

Serial No. 10261 Deed No. 157

बिहार सरकार

निबंधन कार्यालय, गया

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **25/06/2014** को **Sanjay Kumar Singh (President)** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रू0 **6000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **1380** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं0 **157** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **3** के पृष्ठ सं0 **425** से **441** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **17** पृष्ठों में संधारित किया गया।

बिहार सरकार

SCORE 2.0

सुकुमार झा
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक– **25/06/2014** टोकन नं. 10348 / 2014

25.6.14

ट्रस्ट डीड
"सांई आस्था ट्रस्ट"
का

Sanjay kumar Singh

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

District Registry Office,Gaya

Deed Number 157

ken Number 10348 | Reg. Year 2014 | Serial Number 10261

esType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
esented / g.	Sanjay Kumar Singh (President) संजय कुमार सिंह 25.6.14						
ustee / ig.	Dr. Nutan Singh (secretary) नूतन सिंह 25.06.2014						
rustee / Sig.	Pro. Dinesh Singh दिनेश सिंह 25/6/14						
Trustee / Sig.	Sanjay Kumar Singh (President) संजय कुमार सिंह 25.6.14						
Trustee / Sig.	Sanjeevan Rai संजीवन राय 25/6/2014						
Trustee / Sig.	Anand Kumar Singh (Treasurer) आनन्द कुमार सिंह 25/06/14						
Identified By Ranjay Singh / Sig.	रंजय सिंह पिता श्री कामेश्वर सिंह						

संजय कुमार सिंह
25.6.14

न्यास –पत्र

(Deed of Trust)

यह न्यास पत्र आज दिनांक 25 जुन 2014 ई0 को स्थान, केन्दुई (बिहार) के द्वारा श्री संजय कुमार सिंह (उम्र 51 वर्ष) सुपुत्र स्व0 महेश प्रसाद सिंह, निवासी महल्ला–केन्दुई शहर गया, थाना–मगध मेडिकल कॉलेज, जिला–गया (बिहार) संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक / ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जायेगें।

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख–शांति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित प्रारंभ मुद्रा 51,000 / – (एकावन हजार) केवल प्रदान करते है जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप मे कार्यरत रहेगें।

1. न्यास का नाम : सांई आस्था ट्रस्ट
2. न्यास का कार्यालय : महल्ला–केन्दुई शहर गया, थाना–मगध मेडिकल कॉलेज, जिला–गया
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

उपर्युक्त समस्य न्यासी, न्यास के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक / न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होगें और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या: न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्याा कम से कम पांच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेगें।

Sanjay Kumar Singh

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

संजय कुमार सिंह
25.6.14

भूषण सिंह ट्रस्ट डीड लिखा गया सही है।
25.6.14

दस्तावेज पढ़कर समझ लिया।

5. न्यास का गठन :–

क्र0	नाम / उम्र / पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री संजय कुमार सिंह उम्र 51 वर्ष पिता–स्व0 महेश प्रसाद सिंह	महल्ला–केन्दुई, थाना–म0 मे0 कॉलेज जिला–गया - V.I.D- HCG0819839	समाज सेवा	संस्थापक अध्यक्ष
2.	डॉ0 श्रीमती नूतन सिंह उम्र 49 वर्ष पिता–श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	महल्ला–दलहट्टा बाजार मस्जिद के निकट थाना एवं जिला मुंगेर - V-I-D- BR/43/249/489851	समाज सेवा	ट्रस्टी सचिव
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह उम्र 37 वर्ष पिता–श्री ललन प्रसाद सिंह	ग्राम–रूपस, पो0– जिला–पटना V.I.D. TJG0564294	वकील सेवा	ट्रस्टी कोषाध्यक्ष
4.	श्री संजीवन राय उम्र 58 वर्ष पिता–हेमचन्द राय	म.–नवागढ़ी निकट रामकृष्ण आश्रम थाना–सिविल लाईन्स, जिला–गया - बैंक ऑफ इण्डिया - A/C No- 448716510000045		ट्रस्टी सदस्य
5.	प्रो0 दिनेश सिंह उम्र 56 वर्ष पिता–स्व0 परीक्षण सिंह	84 MIG शहीद भगत सिंह कॉलोनी मुस्तफाबाद, थाना– रामपुर, जिला–गया	शिक्षक	ट्रस्टी सदस्य

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक / अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होगें और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : सांई आस्था ट्रस्ट
2. न्यास का कार्यालय : महल्ला–केन्दुई शहर गया, थाना–मगध मेडिकल कॉलेज, जिला–गया

3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा आई0 टी0 आई0 (एन. सी. बी. टी.), पारा मेडिकल, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक

Sanjay Kumar Singh

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

कॉलेज, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बी. एड. कॉलेज, नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (ए. एन. एम.) पोलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मुलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना जिसमें सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा। जिससे मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।
3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपित, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।
5. समाज मे व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल–विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदायवाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल मे अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।
7. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। सौर्य उर्जा, प्राकृतिक उर्जा के बारे मे जानकारी देना साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। नल–कूप निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।
8. पुस्तकालय, वांचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।
9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य

संजय कुमार सिंह 25.6.14

श्री संजीवन राय ट्रस्ट डीड लिखा गया सही है। दस्तावेज पढ़कर समझ लिया। 25/06/2014

Sanjay Kumar Singh
President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी. बी., कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगो के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।
11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायोगैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक श्रोतो की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।
12. पंचायती राज, व्यस्क मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारें मे लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।
13. नेत्रहीन, मूक बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चो, लोगो के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।
14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपर्युक्त साधन, जलछाजन, जसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधिय पौधो के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख–रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।
16. अनाथ बच्चो, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल–श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन, एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना।
17. महिलाओं एवं बच्चो के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वंय सहायता समूह, पालना गृह पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

Sanjay Kumar Singh

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, मधुबनी पेन्टिग, एपलिंक, सौन्दर्य प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने मे मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद–भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

21. ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मन्दिर की स्थापना, व्यवस्था, रख–रखाव एवं संचालन करना एवं सत्संग आदि कार्यक्रम संचालन करना साथ ही धर्म प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

"सांई आस्था ट्रस्ट"

की

नियमावली

1. परिभाषाएं

क– न्यास का नाम	:–	सांई आस्था ट्रस्ट
ख– न्यास का ट्रस्टी	:–	संस्थापक / न्यासकर्ता मुख्य न्यासी होगें।
ग– मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:–	संस्थापक / न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगें।
घ– पदाधिकारी	:–	संस्थापक / न्यासकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होगें।
ङ– प्रबंध समिति	:–	पदाधिकारी सहित दो अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होगें।
च– वर्ष	:–	01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
छ– एक्ट	:–	ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

2. सदस्यता :– ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक /

Sanjay Kumar Singh

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

न्यासकर्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता को अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सदस्यता पांच प्रकार का होगा –

1. **न्यासी सदस्यः**–संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष।
2. साधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रूपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते है।
3. स्थाई सदस्य –कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/– रू0 अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते है।
4. संस्थागत सदस्य–कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/– रू0 अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते है।
5. संस्थापक सदस्य –जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेगें और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 5000/– रूपये जमा करने होगें।

3. सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति

1. स्वंय त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्कासित करने पर।
6. संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निष्कासित करने पर।

4. न्यास का प्रबंधन

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित पांच सदस्य होगें प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा किन्तु आवश्यकता

Sanjay Kumar
President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेगें।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होगें :–

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित मे कार्यक्रम संचालित करना।
2. समय–समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास के सम्पति मे वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच. डी. एफ. सी./ आई. सी. आई. सी. आई./मल्टीनेशनल बैंक मे खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों मे प्रयोग किया जायेगा।
6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पति किराये/लिज/पट्टे पर लेना एवं देना।
7. न्यास के नाम से बचत/चालु/आवर्ती जमा/अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापन/न्यासकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय–समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाकघर को सूचित करना।

Sanjay Kumar
President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि / परामर्शदाता नियुक्त करना / अधिकृत करना।
9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन / अंशकालीन वैतनिक / अवैतनिक अधिकारियों / लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।
11. किसी अन्य न्यास / ट्रस्ट / संगठन / संस्थान में संबद्ध होना, संबद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
12. न्यास का स्थानातंरण / हस्तानांतरण करना या देना।
13. न्यास के सम्पति, कोष / निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान / स्वैच्छिक संगठन, न्यास / ट्रस्ट को देना।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य / जिला / प्रखण्ड / पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य / केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।
15. न्यास के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना और वितीय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।
17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।
18. संस्थापन / न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापन / न्यासकर्ता द्वारा तय किया जाएगा।
19. संस्थापन / न्यासकर्ता को समय–समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेगें।

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

5. **प्रबंध समिति का निर्वाचन :–**
प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षो पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात् निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. **प्रबंध समिति का अधिकार :–**
पांच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किय जायेगें। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेगें।

7. **पदाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य :–**

1. **संस्थापक अध्यक्ष**
   1. संस्थापक अध्यक्ष के सर्वोच्च पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगें।
   2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
   3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
   4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
   5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
   6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापन/न्यासकर्ता का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।
   7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय क़े अन्तर्गत ही किया जाएगा।
   8. संस्थापक अध्यक्ष चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
   9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सके।
   10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होगें तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगें।

Sanjay Kumar Sil
President
Sai Astha ...
Kendui, G...

11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
12. न्यास के सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।
13. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/ प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश मे प्रतिनिधित्व करना।
15. बैठक मे पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पदित करना/अनुपालन करना।
16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्या के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियो की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 10,00,000/– (दस लाख) रूपये तक खर्च करना।
18. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

2. **ट्रस्टी सचिव :–**

सचिव न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारा आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में नियार्यक मत देने का अधिकार होगा। असामान्य स्थिति मे न्यास के आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करेगा।

3. **ट्रस्टी कोषाध्यक्ष :–**

न्यास के कोष रेाकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उतरदायित्व कोषाध्यक्ष का होगा। अधिक से अधिक पांच हजार रूपये तक न्यास के कार्यो के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेगें।

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) मे न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा जमा कोष से रूपये की निकासी संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिसमें संस्थापक अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

4. **प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होगें –**

(क) न्यास के सभी चल–अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उतरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

(ड़) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघाट पहुॅचाता हो उस सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

(ञ) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

6. **प्रबंध समिति की बैठक :–**

(1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने मे एक बार होगी।

(3) बैठक मे कुल सदस्यो की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

माना जाएगा।

(4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

7. आम सभा :—

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगें :—

1. पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय—व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय—व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

8. **असाधारण बैठक :—**

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था मे असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।
4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
6. बैठक की सूचना निबंधित डाक पंजी या विशेष दुत से दी

Ex. 6

Sanjay Kumar Sil

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

जायगा।

9. मतदान :–

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति मे गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष पारिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष पारिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी असाधारण पारिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

10. रिक्त पदों की पूति :–

प्रबंध समिति मे कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोनय कर सकते है।

11. आय का श्रोत :–

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होगें :–

1. प्रवेश शुल्क।
2. सदस्यता शुल्क।
3. आजीवन सदस्यता शुल्क।
4. दान एवं चन्दा।
5. अनुदान।
6. ऋण/बैंक ऋण।
7. उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/चेरिटी शो के आयोजन/ शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।
8. संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क।
9. विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी। निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकते है जिसका खर्च न्यास वहन करेगी।

12. कोरम

आम सभा/प्रबंध समिति की बैठक को कोरण सदस्य न्यास को 2/3 भाग का होगा।

Sanjay Kumar

President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

13 न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली मे संशोधन :–
न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थिति सदस्यो के समक्ष लिया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह **"साई आस्था ट्रस्ट"** के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

ह0 साक्षीगण

(1) गवाह संजय सिंह
श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह
सिविल राजपुरी कॉलनी
थाना - भोजपुर
जीला - गया
25-6-2014
म० प० पत्र सं० - XER1344829

(2) गवाह
शैलेन्द्र कुमार
पिता - स्व० रामदुलार शर्मा
ग्राम - हजारीपुर
पो० - बेहैंतल
थाना - शकुराबाद
जीला - जहानाबाद
25-6-2014

हस्ताक्षर

Sanjay kumar Singh
संजय कुमार सिंह
25.6.25

नूतन सिंह
25.6.14

आनन्द कुमार सिंह
25/06/2014

संजीवन राय
25/06/2014

[illegible] सिंह
25/6/14

प्रारूपकर्ता–
धीरेन्द्र कुमार सिन्हा
कार्यालय नवीस, गया
लो० न० - 143/02

Sanjay kumar Singh
President
Sai Astha Trust
Kendui, Gaya

संजय जी 25.6.14

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	6000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	5000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	2380/-

Registration Fee

FEE PAID									
A1	1020	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	**TOTAL-**	**1020**

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 340

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **1360**

Registering Officer
Gaya

Date: 25/06/2014

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gaya Sadar on Wednesday, 25th June 2014 by Sanjay Kumar Singh (President) Late Mahesh Pd. Singh by profession Others. Status - Trustee

25·6·14

Registering Officer
Gaya Sadar

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:25/06/2014**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ranjay Singh' age '40' Sex 'M', 'Kameshwar Pd. Singh', resident of 'Sidharthpuri Colony, Ps-Moffasil, Gaya'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Gaya

Date : 25/06/2014

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gaya Sadar in Book 4 Volume No. 3 on pages on 425 -441 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Gaya

Date : 25/06/2014

Token No. : **10348** **Year : 2014** **S.No. :** **10261** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . :** **157**